कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा–प्रारं/साप्र/बी/ 2611/मूल/22 दिनांक 03–8–22 द्वारा पत्रांक शिविरा–प्रारं/साप्र/बी/2611/मूल/21 दिनांक 23–3–2022 के क्रम में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रस्तावों हेतु इस कार्यालय को प्रेषित अनुमोदित सूची का राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ए–5 (51) कार्मिक/ क–2/88–I दिनांक 29–4–99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे अंकित सूची अनुसार 15 अभ्यर्थियों का कनिष्ठ सहायक एवं 02 अभ्यर्थियो कासहायक कर्मचारी के पद पर कुल 17 अभ्यार्थियों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया जाकर अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख अंकित जिलों में पदस्थापन हेतु जिला आवंटित किया जाता है।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तो की पालना सुनिश्चित करेगें :–

1. राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से कनिष्ठ सहायक/सहायक कर्मचारी के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जॉच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करे। राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जॉच करेगें।
2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी /केन्द्र/निगम बार्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें । (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा।)
3. मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे । कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती हैं ।
5. दत्तक पुत्र, पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार करेंगे ।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–7(1) कार्मिक (क–2) (95) दिनांक 08.04.2003 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.2005 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे।
7. संलग्न सूचियें में अंकित अभ्यर्थियो के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2) डीओपी/ए–11/06 दिनांक 20.01.2006 एवं वित (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रूल्स/06 दिनांक 13.03.06 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनीज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती हैं ।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा ।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी ।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्वि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा ।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा । पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा।
12. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ ए–II/ 2006 दिनांक 05.07.2010 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.2010 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.01.2017 व 04.05.

2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है, तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा। जिन प्रकरणों में शिथिलन प्राप्त है तथा जो प्रकरण कार्मिक विभाग से जरिए आदेश इस विभाग को स्थानातरित है, उनसे संबंधित आदेशों में दी गई शर्तो की पूर्ण अनुपालना नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।

13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.07.2010 एवं 02.01.2017 के अनुसार कम्प्युटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेगें। इन्हें आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.2009 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।
14. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात ही आदेश जारी करेंगें ।
15. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ-5(51)डीओपी/ए-II/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.2015 के अनुसार नियम-5 में हुए संशोधन की पालना सुनिशिचित करें।
16. मृतक कार्मिक प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है अतः प्रथम प्राथमिकता प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पद पर ही दी जायेगी । रिक्त पद न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेगें।
17. माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।
18. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक प.5 (51) कार्मिक/क-2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम-5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।
19. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन्हे ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिस पर किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो ।
20. राज्य सरकार के आदेशानुसार धुम्रपान नहीं करने तथा दहेज नहीं लेने के सम्बन्ध में आवेदक से नियमानुसार शपथ-पत्र प्राप्त करें। जिन अभ्यर्थियों के प्रकरण में मृतक/आवेदक के नाम/उपनाम में विसंगति होने पर नियमानुसार यथेष्ट भाषा में शपथ पत्र लेवे।
21. जिन प्रकरणों में कार्मिक विभाग/शासन से शिथिलन प्राप्त है, उन प्रकरणों में प्राप्त शिथिलन में निहित शर्तो की अनुपालना की जावें।
22. जिन प्रकरणो मे शिथिलन प्रदान किया गया है एवं जो अन्य विभाग के होने के कारण कार्मिक विभाग से प्राप्त हुए हैं उसमें शिथिलन आदेश में वर्णित शर्तो एवं कार्मिक विभाग से प्राप्त होने वाले प्रकरणों मे कार्मिक विभाग के पत्र मे वर्णित शर्तो की अनुपालना होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। इस हेतु नियुक्ति आदेश जारीकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
23. विधवा आवेदक के प्रकरणों में यदि पति की जाति जोड़कर आवेदन किया गया है तो नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व अपने स्तर पर नाम विसंगति के संदर्भ में पूर्ण पुष्टि करते हुए पुष्टि होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें तथा विवाहित आवेदक के संबंध में नियम-5 का जिशिअ का प्रमाण पत्र, आवेदक का शपथ पत्र एवं आवेदक की पत्नी का नियम-5 का शपथ पत्र प्राप्त करें। अविवाहित आवेदक के संदर्भ में वैवाहिक स्थिति का अद्यतन शपथ पत्र प्राप्त कर नियुक्ति आदेश जारी करें। यदि वैवाहिक स्थिति में अंतर है तो आवेदक के आश्रितों के संबंध में नियम-5 के समस्त दस्तावेज (आवेदक व आवेदक की पत्नी का शपथ पत्र, आवेदक के आश्रित परिवार के संबंध में जिशिअ का प्रमाण पत्र) प्राप्त होने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी करें ।
24. आवेदक की जन्मतिथि के संबंध में नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर प्रथमतः शैक्षणिक योग्यता/टीसी (सक्षम स्तर से प्रमाणित) एवं केवल, आवेदक के विद्यालय प्रवेश नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी जन्म प्रमाण पत्र से पुष्टि करने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी करें ।

चूंकि विभाग में कनिष्ठ सहायक/सहायक कर्मचारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी है, अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुवे संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाएँ एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे ।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियाँ उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राज0 जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय,राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें ।

स्थिर पारिश्रमिक कनिष्ठ सहायक 14,600/–रू. मासिक एवं सहायक कर्मचारी का 12,400/–रू. मासिक

क्र. सं.	आवेदक का नाम, जन्मतिथि	मृतक से सम्बन्ध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पद नाम स्व. श्री/श्रीमती	मृतक कार्मिक का कार्यरत जिला	आवंटित जिला
1	2	3	4	5	6	7
1.	लोकेश कुमार 18.01.1997	पुत्र	08.03.2022 कनिष्ठ सहायक	महेश कुमार बागोरिया, अध्यापक	झुन्झुनूं	झुंझुनू
2.	पुष्पा 15.07.1990	पत्नी	13.05.2022 कनिष्ठ सहायक	अमीलाल प्रबोधक	झुन्झुनूं	झुंझुनू
3.	पुर्वांशी गौड 16.01.2001	पुत्री	29.12.2021 कनिष्ठ सहायक	सुमन शर्मा अध्यापक	अजमेर	अजमेर
4.	मंजीत गुर्जर 16.09..2001	पुत्र	13.02.2021 कनिष्ठ सहायक	राजाराम अध्यापक	नागौर	जोधपुर
5.	राकेश बंजारा 11.03.1999	पुत्र	23.12.2019 कनिष्ठ सहायक	भाकरराम प्रबोधक	जोधपुर	जोधपुर
6.	शिशपाल सिंह 15.08.1998	पुत्र	01.12.2021 कनिष्ठ सहायक	रामलाल अध्यापक	नागौर	पाली
7.	धन्नाराम 31.12.1997	पुत्र	25.03.2022 कनिष्ठ सहायक	बाबुलाल सुथार प्रबोधक	पाली	पाली
8.	गजेन्द्र कुमार जाटव, 16.02.1999	पुत्र	08.02.2022 कनिष्ठ सहायक	बाबुलाल जाटव प्रबोधक	करौली	करौली
9.	पुष्पा देवी कटारा 31.12.1983	पत्नी	09.04.2020 कनिष्ठ सहायक	दिलीप कुमार आमलिया, ध्यापक	डूंगरपुर	डूंगरपुर
10.	कनकमल कटारा 15.06.1995	पुत्र	12.12.2019 कनिष्ठ सहायक	देवीलाल कटारा अध्यापक	डूंगरपुर	डूंगरपुर
11.	प्रवीण कुमार डामोर 08.01.1994	पुत्र	08.08.2017 कनिष्ठ सहायक	प्रभुलाल डामोर अध्यापक	डूंगरपुर	डूंगरपुर
12.	हंसमुख डामोर 08.09.1999	पुत्र	07.02.2022 कनिष्ठ सहायक	मानशंकर डामोर वरिष्ठ अध्यापक	डूंगरपुर	डूंगरपुर
13.	संगीता कुमारी अहारी 01.01.1996	पुत्री	29.07.2021 कनिष्ठ सहायक	सोहनलाल अहारी अध्यापक	डूंगरपुर	डूंगरपुर
14.	जितेश सोंलकी 27.01.2000	पुत्र	08.03.2022 कनिष्ठ सहायक	अशोक कुमार सोंलकी अति. जिशिअ	बीकानेर	हनुमानगढ़
15.	ललित सिंह 15.08.1996	पुत्र	10.03.2022 कनिष्ठ सहायक	राजूसिंह चम्पावत वरिष्ठ अध्यापक	जालोर	जालोर

Rajasthan Education Department

क्र. सं.	आवेदक का नाम, जन्मतिथि	मृतक से सम्बन्ध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पद नाम स्व. श्री / श्रीमती	मृतक कार्मिक का कार्यरत जिला	आवंटित जिला
1	2	3	4	5	6	7
16	कान्ता शर्मा 30.11.1989	पत्नी	26.03.2022 सहायक कर्मचारी	शिवलाल शर्मा अध्यापक	राजसमन्द	उदयपुर
17	जीजा कुमारी रोत 21.12.1981	पत्नी	02.09.2019 सहायक कर्मचारी	छगनलाल परमार प्रबोधक	डूंगरपुर	डूंगरपुर

क्र.सं. 3, 4 एवं 5 पर अंकित प्रकरणों में शासन से शिथिलन प्राप्त है ।

(गौरव अग्रवाल)
I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / साप्र / ए–4 / 3901 / नियुक्तिमूल / प्राशि / 2022 / 369 दिनांक : 23/08/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. अतिरिक्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त अभ्यार्थियों के मूल प्रकरण संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय को प्रेषित करावें ।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय
7. स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग (निदेशक)
8. अनुभागाधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग
9. रक्षित पत्रावली

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर